न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी नन्नूमल पहाड़िया, आई.ए.एस.

उनवान

सरकार जरिये तहसीलदार मासलपुर तहसील मासलपुर जिला करौली – प्रार्थी

बनाम

1. घुर्रू
2. हरिसिंह
3. शिवनारायण

} पिसरान भौरू

4. फूलबाई पत्नि स्व. भौरू (फौत–नाम हजफ)

} जातियान मीना निवासीयान अर्जुनपुरा (भावली) तहसील मासलपुर – अप्रार्थीगण

रेफरेन्स अंतर्गत धारा 82 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक–31.07.2019

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि भूमिधारी तहसीलदार मासलपुर ने अप्रार्थीयान के विरूद्ध यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि आराजी खसरा नंबर 2993 रकबा 2–07 बीघा ग्राम भावली तहसील मासलपुर का प्रार्थी लैण्ड होल्डर है। यह कि आराजी खसरा नंबर 2993 रकबा 2–07 बीघा ग्राम भावली सम्वत् 2015 एवं इसके पश्चात् गै.मु. पोखर दर्ज रिकॉर्ड था परन्तु नामांतरकरण संख्या 158 से किस्म बारानी सोयम से श्री भौरू पुत्र अरजुन मीना के नाम जरिए आवंटन/नियमन/डिक्री से दर्ज कर दिया गया। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 तक में जरिए विरासत घुर्रू, हरिसिंह, शिवनारायण पिसरान भौरू, फूलबाई पत्नि स्व. भौरू जाति मीना निवासी अर्जुनपुरा (भावली) तहसील मासलपुर जिला करौली के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। यह कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस प्रकार से यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 के द्वारा नदी, नाले, जलाशय आदि की भूमि जो दिनांक 15.08.1947 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है को वापस सरकारी भूमि में दर्ज करने एवं इसके बाद हुए परिवर्तन को अवैध घोषित किए जाने के निर्देश हैं। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए आराजी खसरा नंबर 2993 रकबा 2–07 बीघा ग्राम भावली को वापस राजकीय भूमि गै0मु0 पोखर दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

उक्त प्रार्थना पत्र के साथ रिपोर्ट पटवारी, जमाबन्दी सम्वत् 2015, 2059–62, 2067–70, 2071–74 नामांतरकरण संख्या 158 दिनांक 17.12.1965, नामांतरकरण संख्या 634 दिनांक 07.10.1977, नामांतरकरण संख्या 1213 दिनांक 02.07.1990, 1473 दिनांक 26.04.1999 की प्रति संलग्न की है।

तहसीलदार मासलपुर के उक्त प्रार्थना पत्र रेफरेन्स के इस न्यायालय में प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीयान की गई।

अप्रार्थीगण ने जवाब पेश कर निवेदन किया है कि उपरोक्त रेफरेन्स का प्रकरण जिसमें आराजी खसरा नं. 2993 रकबा 2 बीघा 7 विस्वा किस्म गैर मुमकिन पोखर बाके ग्राम भावली में बताई है जहां पर सेटिलमेंट से पूर्व तलाई बताई है श्रीमान्जी जब से ग्राम भावली व अर्जुनपुरा बसा है यहां पर सौ साल पूर्व से भी कोई तलाई नहीं रही है खाली 10 साल पूर्व एक तड़ा गायों को पानी पीने बाबत् श्री पन्ना सरपंच ग्राम भावली के द्वारा एक पोखर ग्राम पंचायत द्वारा एवं 20 प्रतिशत पैसा मैने व मेरे भाईयों ने लगाकर पोखर अवश्य बनाई है जो जगह आज भी खाली पड़ी हुई है मेरा व मेरे परिवार के किसी सदस्य का किसी प्रकार का

जिला कलक्टर
करौली

उक्त आराजी पर किसी किस्म का कोई कब्जा नहीं है ना ही मैंने किसी नियम का उल्लंघन किया है हल्का पटवारी द्वारा रिपोर्ट मौके पर जाये बिना घर बैठे ही अंकित कर दी है उक्त आराजी जो हमारे पूर्वजों के नाम से चली आ रही है जिसका हमें आज तक पता नहीं है कि उक्त जमीन किस स्थान पर मौजूद है आज भी उक्त जमीन यथास्थिति में मौजूद है मेरा मौके पर किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं है इस बाबत् समस्त रिकॉर्ड तहसील कार्यालय में मौजूद है। श्रीमानजी चाहे तो स्वयं पधार कर मौके का अवलोकन कर सकते हैं। अंत में प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पैरोकार सरकार का बहस में कथन है कि आराजी खसरा नंबर 2993 रकबा 2–07 बीघा ग्राम भावली सम्वत् 2015 एवं इसके पश्चात् गै.मु. पोखर दर्ज रिकॉर्ड था परन्तु नामांतरकरण संख्या 158 से किस्म बारानी सोयम से श्री भौरू पुत्र अरजुन मीना के नाम जरिए आवंटन/नियमन/डिक्री से दर्ज कर दिया गया। यह कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस प्रकार से यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 के द्वारा नदी, नाले, जलाशय आदि की भूमि जो दिनांक 15.08.1947 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है को वापस सरकारी भूमि में दर्ज करने एवं इसके बाद हुए परिवर्तन को अवैध घोषित किए जाने के निर्देश हैं। अंत में प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किये जाने का कथन किया है।

अप्रार्थीगण का बहस में कथन है कि उपरोक्त रेफरेन्स का प्रकरण जिसमें आराजी खसरा नं. 2993 रकबा 2 बीघा 7 विस्वा किस्म गैर मुमकिन पोखर बाके ग्राम भावली में बताई है जहां पर सेटिलमेंट से पूर्व तलाई बताई है। श्रीमान्जी जब से ग्राम भावली व अर्जुनपुरा बसा है यहां पर सौ साल पूर्व से भी कोई तलाई नहीं रही है। खाली 10 साल पूर्व एक तड़ा गायों को पानी पीने बाबत् श्री पन्ना सरपंच ग्राम भावली के द्वारा एक पोखर ग्राम पंचायत द्वारा एवं 20 प्रतिशत पैसा मैने व मेरे भाईयों ने लगाकर पोखर अवश्य बनाई है जो जगह आज भी खाली पड़ी हुई है। मेरा व मेरे परिवार के किसी सदस्य का किसी प्रकार का उक्त आराजी पर किसी किस्म का कोई कब्जा नहीं है ना ही मैंने किसी नियम का उल्लंघन किया है। उक्त आराजी जो हमारे पूर्वजों के नाम से चली आ रही है जिसका हमें आज तक पता नहीं है कि उक्त जमीन किस स्थान पर मौजूद है आज भी उक्त जमीन यथास्थिति में मौजूद है। अंत में प्रकरण खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गंभीरतापूर्वक अवलोकन करते हुए मनन किया। जमाबन्दी संवत् 2015 के अनुसार सिवायचक बिला लगानी आराजी खसरा नंबर 2993 रकबा 2–07 बीघा ग्राम भावली गै0 मु0 पोखर दर्ज रिकॉर्ड है। नकल नामांतकरण संख्या 158 के अनुसार आराजी खसरा नंबर 2993 रकबा 2–07 बीघा श्री भौरू पुत्र अरजुन जामि मीना के नाम दिनांक 17.12.1965 को स्वीकार किया है। नकल जमाबन्दी सं0 2071 लगायत 2074 के अनुसार खसरा नंबर 2993 किस्म बारानी–3 रकबा 2–07 बीघा घुरू, हरिसिंह, शिवनारायण पिसरान भौरू, फूलबाई पत्नि स्व. भौरू जाति मीना निवासी अर्जुनपुरा (भावली) अंकित है। इससे स्पष्ट है कि यह जमीन पूर्व में गै0 मु0 पोखर दर्ज थी जिसकी किस्म परिवर्तन के बाद भूमि आवंटित की गई है। चूंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस प्रकार यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश

जिला कलक्टर
करौली

दिनांक 02.08.2004 के विस्तृत निर्णय में उल्लेखित किया है कि All the lands shown as drainage channels like nalla, rivers, tributaries etc. as on 15-08-1947 should be declared as Government land. Any conversions made after 15-08-1947 should be declared illegal. The relevant act and rules must be amended accordingly. माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा जनहित याचिका में पारित निर्णय के अनुसार हम इस प्रकरण में वर्णित भूमि आराजी खसरा नंबर 2993 रकबा 2–07 बीघा को वापस राजकीय भूमि गै0मु0 पोखर दर्ज किया जाना उचित समझते हैं।

अतः भूमिधारी तहसीलदार मासलपुर का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 L.R. Act 1956 स्वीकार किया जाकर ग्राम भावली की आराजी खसरा नंबर 2993 रकबा 2–07 बीघा को वापस राजकीय भूमि गै0मु0 पोखर दर्ज करने की स्वीकृति देने हेतु मूल पत्रावली राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नन्नूमल पहाडिया)
जिला कलक्टर
करौली